तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7741/2006/सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामजीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अर्चना गौतम, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थि। -- **आदेश** **दिनांकः- 02.12.2025** 1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने पत्रावली संख्या 209/06 में अपने आदेश दिनांक 08-08-06 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2. रेफरेन्स प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोठडा की आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा गै0मु0 तालाब के रूप में जमाबंदी सम्वत् 2026-29 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थन भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 10 बीघा	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>रेफरेन्स/एल.आर./7741/2006/सवाईमाधोपुर</u>
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बनाम रामजीलाल</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>(बाद सेटलमेण्ट हाल खसरा नम्बर 1276/1311, 1280 रकबा 02.53 है0) भूमि का आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया जो अवैध है तथा नियम विरूद्ध आवंटन की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 73 गैर खातेदारी का एवं नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 28-10-75 खातेदारी का दर्ज फैसल किया गया जो अनियमित होने से निरस्तनीय है।

3. न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 08-08-2006 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है।

4. विपक्षीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किये 45 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते हैं इसलिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आवंटन/हस्तांतरण/नामांतकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस</td><td></td></tr>
</table>

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में तालाब बिलानाम सरकार दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

6- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल नामांतरकरण संख्या 16 संलग्न है। इसके अलावा नामांतरकरण संख्या 73 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2026-29 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोठडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म तालब बिलानाम सरकार में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2030-33 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोठडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 603/834 रकबा 10 बीघा भूमि रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2060-63 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोठडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1276/1371 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नम्बर 1280 रकबा 2.14 है0 भूमि रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 तालाब दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई।

7- राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः-

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for

agricultural purposes under these rules, namely-
(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

8. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-
Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9. प्रश्नगत भूमि पूर्व में तालाब की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-

1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

10. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

11- परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम गोठडा का नामांतरकरण संख्या 73 व नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 28-10-75 निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को पुनः गै0मु0 तालाब बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

12- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य